

फा.स.एफ - 23018/1/2024 - प्रशासन (एल एन्ड डी ओ) /235

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भूमि तथा विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक:-19 मार्च, 2024


आदेश

प्रत्येक बुधवार अपराह्न को बिना पूर्व नियत समय लिए जन साधारण बैठकें आयोजित की जा रही हैं। संवाद विकल्पों को बढ़ाने के साथ-साथ अप्राधिकृत व्यक्तियों अथवा हितधारकों से इतर व्यक्तियों के प्रवेश को हतोत्साहित करने की आवश्यकता महसूस की गयी है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि अब से जनसाधारण के साथ वास्तविक बैठकें प्रत्येक बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को अपराह्न 02.00 बजे से 03.00 बजे तक केवल पूर्व नियत समय होने पर ही की जाएगी। जन साधारण के पास प्रत्येक बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सायं 03.00 बजे से 03.30 बजे तक पूर्व नियत समय पर वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से संवाद का एक अतिरिक्त विकल्प होगा।

2. तदनुसार, प्रत्येक बुधवार को अपराह्न 02.00 बजे से 04.00 बजे तक आयोजित की जा रही जन साधारण बैठकें बंद कर दी गई हैं।

3. इस आशय के साथ-साथ पूर्व नियत समय बुक करने की प्रक्रिया को दर्शाने वाला विज्ञापन टाइम्स ऑफ इण्डिया (अंग्रेजी) और हिन्दुस्तान (हिन्दी) में दिनांक 28.02.2024, 06.03.2024 और 10.03.2024 को प्रकाशित किया गया है तथा भूमि तथा विकास कार्यालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया है।

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


19/03/2024

(दिनेश कुमार लखुमना)

उप भूमि तथा विकास अधिकारी (प्रशासन)

दूरभाष: - 23061296

सेवा मे: -

(i) सभी उप भूमि तथा विकास अधिकारी/अभियंता अधिकारी/लेखा अधिकारी